BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

लोकसभा अध्यक्ष/स्पीकर (Speaker)

प्रोटेम स्पीकर/लोकसभा का अस्थायी स्पीकर

आम चुनाव के बाद जब लोकसभा की प्रथम बैठक आमंत्रित की जाती है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। संसदीय मामलों में मंत्रालय के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी अथवा गठबंधन प्रोटेम स्पीकर का नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के स्पीकर अथवा स्थायी अध्यक्ष के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटेम स्पीकर नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य तथा स्थायी स्पीकर के के चुनाव का कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्य चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है।

लोकसभा का अध्यक्ष/स्पीकर

भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसलिए निम्न सदन अथवा लोकसभा का राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की शक्ति, प्रतिष्ठा तथा गौरव का द्योतक होता है।

स्पीकर का निर्वाचन एवं कार्यकाल

लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा का स्थायी स्पीकर अथवा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। सर्वप्रथम प्रोटेम स्पीकर के द्वारा एक उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता है अगर बहुमत से उसका निर्वाचन हो जाता है तो वह स्पीकर बन जाता है। सदन का बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रोटेम स्पीकर द्वारा द्वितीय उम्मीदवार का प्रस्ताव सदन में रखा जाता है। भारत की संसदीय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि इसके निर्वाचन के स्थान पर सर्वसम्मति को अपनाया

जा रहा है। भारत की परम्परा है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का तथा उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है।

लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल अपने लोकसभा के प्रथम तिथि से लेकर अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक होता है। इस प्रकार लोकसभा विघटन के समय भी लोकसभा संबंधी सभी कार्यो का संचालन स्पीकर द्वारा ही किया जाता है।

स्पीकर के कार्य और शक्तियॉ

1. संसदीय कार्यवाही के नियम 333 के तहत स्पीकर संसदीय कार्यवाही के किसी अंश को प्रकाशन, प्रसारण से बाहर निकाल सकता है।
2. सदन को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होती है परन्तु स्थगन प्रस्ताव के चर्चा के दौरान यह शक्ति अध्यक्ष की जगह पूरे सदन में स्थानान्तरित हो जाती है।
3. लोकसभा को भेजे गये सभी संदेश, दस्तावेज, याचिकाएँ स्पीकर ही प्राप्त करता है।
4. स्पीकर संसद की तीन समितियों क्रमशः नियम समितियॉ, कार्यमंत्रणा समिति, सामान्य(प्रयोजन) समिति की अध्यक्षता करता है।
5. लोकसभा अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श कर सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है तथा सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी कार्य करता है।
6. संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति एवं भाषण देने का क्रम लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। वह किसी भी सदस्य को भाषण समाप्त कर बैठने का निर्णय दे सकता है।
7. सदन का कोई सदस्य अगर अध्यक्ष की आज्ञा का पालन नहीं करता है तथा सदन की कार्यवाही में निरन्तर बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो अध्यक्ष सदस्य पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसकी सदस्यता को निलम्बित कर सकता है।
8. राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक उसके हस्ताक्षर के बाद ही भेजा जाता है।
9. अध्यक्ष किसी भी सांसद के त्याग पत्र को तभी स्वीकार करता है जब उसको यह विश्वास हो जाए कि सांसद ने त्याग–पत्र स्वेच्छा से दिया है न कि किसी के दबाब में आकर दिया है।
10. संसदीय दलों को मान्यता देने के लिए मार्गदर्शी सिंद्वात निर्धारित करता है।

11. कार्यपालिका व शासन की अन्य सत्ताओं से, सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा का कार्य अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है।
12. लोकसभा अध्यक्ष की एक विशेष शक्ति यह है कि वह आवश्यकता पड़ने पर इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।
13. लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है।